न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

शिवराज सिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी बाडा पिचानौत तहसील नादौती जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

1. नवलसिंह पुत्र माधोसिंह
2. ज्ञानबाई पुत्री माधोसिंह
3. विश्म्बर सिंह पुत्र नवलसिंह
4. भीमप्रताप सिंह पुत्र नवलसिंह
5. उर्मिला देवी पत्नि नवलसिंह
6. गिरधारी सिंह पुत्र दशरथ सिंह
7. गजेन्द्र सिंह पुत्र धनसिंह
8. नरेन्द्र सिंह पुत्र धनसिंह
9. राजेन्द्र सिंह पुत्र छीतरसिंह
10. शिम्भूसिंह पुत्र छीतरसिंह
11. रूपसिंह पुत्र छीतरसिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीयान बाडा पिचनौत तहसील नादौती जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट्स

प्रार्थना पत्र धारा 235 आ0टी0एक्ट बावत अंतरण किये जाने
मुकदमा नं. 86/2018 उनवानी शिवराजसिंह बनाम नवलसिंह वगै0
न्यायालय उपजिला कलक्टर नादौती

निर्णय

दिनांक 05.11.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 235 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय एस.डी.ओ. नादौती में प्रकरण उनवानी शिवराजसिंह बनाम नवलसिंह वगै. मुकदमा नं. 86/2018 प्रार्थी द्वारा दावा बावत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है एवं दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 62/2018 भी पेश कर रखा है। प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा में दिनांक 18.09.2018 को अप्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा सुनवाई कर रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया था। प्रकरण न्यायालय एसडीओ के स्टे को बावत् अप्रार्थीगण 1 ता 5 ने गांव में रूमर फैला रखी है कि हम स्टे को खारिज कराएगें, हमने पीठासीन अधिकारी नादौती से सैटिंग कर ली है। हम किसी भी कीमत पर स्टे को खारिज करवाकर छोडेंगे। दिनांक 27.09.2009 को अप्रार्थीगण 1 ता 5 ने पीठासीन अधिकारी से साज कर एक प्रार्थना पत्र शीघ सुनवाई हेतु न्यायालय एस.डी. ओ नादौती में पेश किया इस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा एकतरफा सुनवाई कर पत्रावली नियत दिनांक 23.10.2019 से तलब कर प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर ले लिया और प्रकरण में तारीख पेशी बिना प्रार्थी को सुने प्रार्थी के अधिवक्ता को बुलाकर प्रार्थना पत्र की नकल दे दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीपक्ष को बिना सुने ही बिना कोई नोटिस जारी किये प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लेकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी

दिनांक 09.10.2019 नियत की दी गई है। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को बिना सुने एवं बिना सूचना दिये ही अस्थाई निषेधाचा को प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बिना प्रार्थी की जानकारी में लाये सुनवाई का मानस बना लिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सूचित करने पर प्रार्थी ने जानकारी की तो पता चला कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर ली है। अप्रार्थीगण खुलेआम पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ हो जाने की बात कहकर ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम इस प्रकरण में स्टे को खारिज करवाकर रहेंगे। अप्रार्थीगण प्रार्थी की मुकदमे को बिना मैरिट पर सुनवाई किये ही खारिज करवाना चाहते हैं। पीठासीन अधिकारी एवं अप्रार्थीगण ने आपस में साज कर प्रार्थी की मुकदमे में बिना मैरिट पर सुनवाई कर सहज भाव में नियत दिनांक 23.10.2019 से बीच में ही प्रकरण में तारीख नियत कर प्रकरण को प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करने की योजना बना ली है। पीठासीन अधिकारी की उक्त कार्यवाही से प्रार्थी को अब किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं रही है। प्रकरण दावा एवं दर० को न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती से तलब कर अन्य किसी न्यायालय में अंतरण कर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे प्रार्थी को उचित न्याय मिल सके।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रकरण दावा मुकदमा नं. 86/2018 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 62/2018 उनवानी शिवराजसिंह बनाम नवलसिंह वगै० न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती से दीगर किसी न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीयान जरिये वकील उपस्थित आया और अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुये कहा गया है कि प्रार्थी के वकील की उपस्थिति में विधि अनुसार समस्त कार्यवाही नियत दिवस को सुनी गई है जो पूर्णरूपेण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होकर न्याय संगत थी। उसमें कही भी किसी प्रकार न तो पीठासीन अधिकारी और न ही अप्रार्थी पक्षकार का कही इतर उद्देश्य रहा है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की मंशा से पेश किया गया है। एकपक्षीय आदेश को आदेश 39 नियम 3 (ए) के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में एक माह के अंदर निर्णय किये जाने के आदेशों के साथ किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित कर दे तो जबावदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपने बहस कथन में प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया है कि वादी/अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर चुका है जिसके कारण प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश फरमाये जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपने बहस कथन में अपने जवाब को दोहराते हुऐ कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा गलत मनगढंत बाते कही गयी है जो गलत व अस्वीकार है। किसी प्रकार की कोई सांठगांव आदि नही की गई है। प्रार्थी/प्रतिवादी प्रकरण को

देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड नादौती में अप्रार्थी/वादी शिवराजसिंह ने एक दावा धारा 53, 188, 88, 207 एवं प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के तहत पेश किये गये है जिसमें उभयपक्षकारान् की ओर से अभिभाषकगण उपस्थित आये है। अन्तिम तारीख पर प्रकरण में जबाव दावा एवं शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्रावली में अंकन किया हुआ है जहां पर वकील प्रार्थी का कथन है कि वादी द्वारा पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर ली गई है जिससे न्याय की उम्मीद नही है। वकील अप्रार्थी/वादी का कथन था कि ऐसी कोई बात नही है। दोनो पक्षों की ओर से अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये है किन्तु यहां पर यह विदित है कि जब प्रार्थी/प्रतिवादी को संबंधित पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद में संदेह हो रहा है तेा ऐसी स्थिति में अन्य न्यायालय को प्रकरण स्थानांतरित किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 31/2019 उनवानी शिवराजसिंह बनाम नवलसिंह दावा 86/2018 एवं मुकदमा संख्या 62/2018 प्रार्थना पत्र को आगामी सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को स्थांतरित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्षकारों को विधि अनुसार सुना जाकर दो माह की अवधि में प्रकरण का निस्तारण किया जावें साथ ही उभयपक्षकारान् को निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 20.11.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम में उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम एवं उपखण्ड अधिकारी नादौती को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:09:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: